राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

क्रमांकः राम/प-2(13)रातस/बैच-29/2019/ 6551 दिनांक : 12/7/19

-:आदेश:-

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2016 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 के नियम 34 के तहत 220 अभ्यर्थीयों को नायब तहसीलदार के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा काल पर नियुक्ति प्रदत्त करते हुए प्रशिक्षण हेतु आर.आर.टी.आई अजमेर/ए.पी. आर.टी. टोंक में उपस्थिति देने हेतु आदेश दिये गये। जिस क्रम में श्री राजेन्द्र मोहन ने पूर्व में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने सम्बंधी पत्रादि प्रस्तुत कर आधारभूत प्रशिक्षण से मुक्त करने का अनुरोध किया है।

अतः नियत आधारभूत प्रशिक्षण दिनांक 03.07.2019 से 17.08.2019 तक की अवधि में श्री राजेन्द्र मोहन नायब तहसीलदार (प्रशिक्षणार्थी) को फिल्ड कार्य प्रशिक्षण हेतु दिनांक 17.08.2019 तक एतद्द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय जयपुर आवंटित किया जाकर कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति जिला कलक्टर कार्यालय जयपुर में प्रस्तुत करें ।

जिला कलक्टर जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र मोहन को दिनांक 17.08.2019 को मध्यान्ह पश्चात कार्यमुक्त कर दिनांक 19.08.2019 को भू-प्रबंध प्रशिक्षण हेतु भू-प्रबंध विभाग राजस्थान जयपुर में अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करावें।

आदेशानुसार

(आशुतोष गुप्ता)
अतिरिक्त निबंधक (रातस)
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

क्रमांक सम/ 6552-59 दिनांकः- 12/7/19

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- निजी सचिव, मा. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
2- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3- आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग राजस्थान जयपुर।
4- जिला कलक्टर जयपुर।
5- निदेशक, आर.आर.टी.आई. अजमेर/
6- प्राधानाचार्य, ए.पी.आर.टी. टोंक।
7- सम्बंधित श्री राजेन्द्र मोहन, नायब तहसीलदार (प्रशिक्षणार्थी)।
8- आदेश पंजिका/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निबंधक (रातस)
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।